संख्या–185 / 26–2–2010–3मु0स0 / 2010

प्रेषक,

प्रेम नारायण
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक :15 जनवरी, 2010

विषयः–उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत अनाच्छादित बी0पी0एल0 परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

01 जून, 1997 से भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की अधिकतम संख्या 106.79 लाख निर्धारित की गयी है और इनमें से निर्धनतम निर्धन 40.94 लाख अन्त्योदय परिवारों तथा 65.84 लाख बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या निर्धारित की गयी है। वर्ष 2007–08 में राज्य सरकार द्वारा बी0पी0एल0 कार्ड धारकों का व्यापक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें यह बात उभर कर सामने आयी कि कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित होने से छूट गये है एवं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पृष्ठभूमि में प्रदेश के अवशेष गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के सीमित संसाधनों के बावजूद उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना कियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में आप का ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2010–2011 से अनाच्छादित बी0पी0एल0 परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के उद्देश्य से ''उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना'' लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. इस योजना में ऐसे गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, परन्तु उन्हें बी0पी0एल0 योजना, अन्त्योदय योजना या किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार इस योजना के अंतर्गत अर्ह होगें, जिन्हें बी0पी0एल0 अथवा अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड प्राप्त नहीं है तथा परिवार के किसी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन / विधवा पेंशन / विकलांग पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है।

3. इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी परिवारों को रू0 300/– प्रतिमाह की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे खाद्यान्न की बढ़ी हुई कीमतों को वहन करने, बाल श्रम पर रोक लगाते हुए बच्चों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने एवं गृहणियों को परिवार के पौष्टिक संभरण की पूर्ति में सहायता मिलेगी।

4. प्रदेश शासन समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं विकास हेतु कटिबद्ध है। अधिकांश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। विकास की विभिन्न योजनाओं का पर्याप्त लाभ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को मिल सके, इस हेतु आवश्यक है कि इस योजना में कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाय।

5. लाभार्थियों के चयन के लिए सबसे पहले प्रत्येक ग्राम सभा/राजस्व ग्राम में चिन्हीकरण किया जाना आवश्यक होगा। चिन्हीकरण में यह देखा जायेगा कि गरीबी की रेखा के नीचे के कितने परिवार हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनको अन्त्योदय/बी0पी0एल0 कार्ड पर खाद्यान्न की योजना, वृद्धावस्था या विधवा पेंशन अथवा विकलांग पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इस आशय से वर्ष 2007–08 में जो बी0पी0एल0 परिवारों का गहन सर्वे किया गया था, उसकी उपलब्ध सूचनाओं की भी सहायता लेते हुए प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक रजिस्टर में संलग्न प्रारूप में सूचना एकत्रित करके चिन्हीकरण कराया जाना होगा। इस हेतु प्रस्तावित रजिस्टर का प्रारूप संलग्नक–1 पर है।

6. इस योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–18एम(6)/35–आ–1/2004–12, दिनांक 17.06.2004 के अनुसार पॉच सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 19884/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्र में रू0 25546/– प्रति परिवार प्रति वर्ष की अधिकतम आय सीमा के अनुसार निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चिन्हांकन किया जायेगा।

7. परिवार की परिभाषा शासनादेश संख्या–3967/उन्तीस–खाद्य–छः दिनांक 03 जुलाई, 1990 के अनुसार होगी तथा इसमें ''स्वयं/स्त्री/पुत्र/अविवाहित पुत्री/माता/भाई या अन्य कोई सदस्य जो साथ में रहता हो तथा एक ही चूल्हे का बना खाना खाता हो, होंगे'' ।

8. चिन्हीकरण की कार्यवाही जनपदों में अधिकतम 6 माह में पूरी कर ली जाय। चिन्हांकित परिवारों की सूची का प्रकाशन ग्राम/नगर निकाय में किया जायेगा। इस सूची पर आपत्तियॉ/दावा आमंत्रित करने के लिये एक माह का समय रखा जायेगा।

9. चिन्हांकित परिवारों का सत्यापन, आपत्तियों का निराकरण एवं चिन्हांकित परिवारों में से इस योजना के अधीन पात्र परिवारों का चयन उप जिलाधिकारी/जिला

स्तरीय अधिकारी की उपस्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा की खुली बैठक में तथा शहरी क्षेत्र में भी निर्दिष्ट खुली बैठक में किया जायेगा। तदोपरान्त लाभार्थियों की सूची जिलाधिकारी के स्तर से अन्तिम की जायेगी।

10. शहरी क्षेत्र में चिन्हीकरण करने का कार्य जिलाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न विभागों यथा स्थानीय निकाय/डूडा एवं अन्य विभाग जिन्हें वे उपयुक्त समझें, के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा वार्डवार व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए खुली बैठकों के माध्यम से कराया जायेगा।

11. लाभार्थी को धनराशि का वितरण रू0 300/– प्रतिमाह (रूपये तीन सौ प्रतिमाह) की दर से दो छमाही किश्तो में किया जायेगा। योजना का संचालन भारतीय स्टेट बैंक, किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में लाभार्थी के नाम बचत खाता खोलकर किया जायेगा।

12. योजना के अन्तर्गत लाभार्थी मुख्य रूप से परिवार की महिला मुखिया को रखा जायेगा एवं अन्यथा स्थिति में ही पुरूष मुखिया को लाभार्थी बनाया जायेगा।

13. जिलाधिकारी जनपद स्तर पर इस योजना के सफल संचालन हेतु उत्तरदायी होगें। तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी पात्र लाभार्थियों के चयन एवं आपत्तियों के निराकरण हेतु तथा धनराशि वितरण हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी होंगे। लाभार्थी चयन सम्बन्धी किसी विवाद में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

14. भविष्य में यदि किसी लाभार्थी परिवार को बी0पी0एल0 योजना, अन्त्योदय क्रार्यक्रम अथवा किसी पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाता है तो वह इस योजना में स्वतः अपात्र हो जायेगें एवं वे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुमन्य नहीं रहेंगें तथा उनका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जायेगा।

15. इस योजना के प्रथम चरण में वर्ष 2010–11 में प्रदेश स्तर पर अधिकतम 30 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। जो लाभार्थी वित्तीय वर्ष 2010–11 में आच्छादित नहीं हो पायेंगे, उन्हें अगले चरणों में आच्छादित किया जायेगा।

16. इस योजना के क्रियान्वयन/लागू होने की तिथि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

17. प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन/संचालन को दृष्टिगत रखते हुए यदि योजना के स्वरूप अथवा प्रक्रिया में कोई संशोधन भविष्य में अपेक्षित होगा, तो इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन पर्याप्त होगा।

18. योजना के उपरोक्त समस्त अवयवों को ध्यान में रखते हुए कृपया अभी से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रारम्भिक तैयारियों आदि के सम्बन्ध में व्यवस्था

सुनिश्चित कर ली जाय, ताकि वर्ष 2010–11 में योजना का संचालन ससमय प्रभावी रूप से हो सके। उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
प्रमुख सचिव

संख्या–185(1)/26–2–2010–3मु0स0/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त/औद्योगिक विकास आयुक्त/समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
9. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
10. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0।
11. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(भवनाथ)
विशेष सचिव

शासनादेश संख्या– 185/26–2–2010–3मु0स0/2010, दिनांक 15 जनवरी, 2010 का संलग्नक

संलग्नक: प्रारूप–एक

अनाच्छादित बी0पी0एल0 परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु सर्वेक्षण का प्रारूप

जनपद का नाम.....विकास खण्ड का नाम.....ग्राम/नगर का नाम.....जनगणना, 2001 का कोड.....

क. सं0	महिला मुखिया का नाम/पति का नाम/पति के पिता का नाम	जाति अनु0जा0–SC/ अनु0ज0जा0–ST/ पिछड़ा–OBC/ सामान्य–GEN	परिवार में सदस्यों की संख्या	परिवार की आय/जीविका के श्रोत/व्यवसाय			पेट्रोल/डीजल चालित वाहन (है/नहीं)	लामार्थी का वोटर कार्ड नम्बर	परिवार की अनुमानित मासिक आय (रू0)	बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारक (है/नहीं) (B/AAY)	पेंशन लामार्थी वृद्धावस्था(O) विधवा(W) विकलांग(H)	पात्रता	अभ्युक्ति
				कृषि भूमि (हे0में)	दुधारू पशुओं की सं0	खेती/मजदूर/व्यापार/सेवा अन्य (LL/M/B/S/O)						पात्र/अपात्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14